

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रमाबाई नगर।

पत्र सं: एस०पी०एम०य००/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012-13/७५४ दिनांक: १९/०७/१२

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत् आयुष चिकित्सकों के वर्ष 2012-13 के लिए पुनर्जुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

एन०आर०एच०एम० डिवीजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 10(30)/2012/एनआरएचएम-1 दिनांक 16.07.2012 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष (Co-location of AYUSH Facilities at District Level Hospitals & Block Level CHC/PHC) हेतु वर्ष 2012-13 में 1203 आयुष चिकित्सक (पुरुष), 841 आयुष चिकित्सक (महिला) एवं 759 आयुष फार्मासिस्ट को संविदा पर अनुबन्धित किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

2. वर्ष 2011-12 में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत जनपद में संविदा पर अनुबन्धित निम्नलिखित आयुष चिकित्सकों –

- 1) डा० गणेश प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री ओमकार प्रसार द्विवेदी
- 2) डा० आफताब आलम पुत्र श्री रमजान आलम
- 3) डा० विजय कुमार पुत्र श्री महाबीर प्रसाद
- 4) डा० अरविन्द पुत्र श्री पुरुषोत्तम
- 5) डा० प्रीती कटियार पत्नी श्री पुष्पेन्द्र कटियार
- 6) डा० रंजना यादव पत्नी धर्मन्द्र कुमार

के वित्तीय वर्ष 2012-13 में 31 मार्च 2013 तक पुनर्जुबन्धित किए जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है—

- 1) आयुष चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता उनकी पैथी के अनुसार चिकित्साधिकारी पद पर शासकीय सेवा में नियुक्त किए जाने के अनुरूप हो।
 - 2) आयुष सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण—पत्र भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया हो।
 - 3) वर्ष 2011-12 में उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया गया कार्य मूल्यांकन संतोषजनक हो।
3. संविदा पर अनुबन्धित किए जा रहे आयुष चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कार्य प्रारम्भ/योगदान की तिथि से किया जाएगा।

Om

4. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत मानदेय हेतु वांछित धनराशि एवं दवाईयों तथा अन्य मदों हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना तथा शेष आयुष चिकित्सकों (पुरुष एवं महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट के पुनर्अनुबन्ध एवं अन्य मदों/कार्यों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से शीघ्र निर्गत किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

2. 19/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं: एस0पी0एम0यू0 / मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष / 25 / 2012-13 /

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष—जिला स्वास्थ्य समिति, रमाबाई नगर।
5. निदेशक, आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथ सेवाएं, उ0प्र0।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
7. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, कानपुर मण्डल, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि कृपया पत्र की प्रतिलिपि एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट—www.upnrhm.gov.in से डाउनलोड कर मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, रमाबाई नगर को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट—www.upnrhm.gov.in तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

(डॉ अनिल कुमार मिश्र)

महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष

उक्त की प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अवमानना वाद संख्या 2179/2012 (डॉ गणेश प्रसाद द्विवेदी बनाम श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन) में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ अनिल कुमार मिश्र)

महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष